

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग शिविर 2021)

बइजलास - श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

शिविर का स्थान - खानोर दिनांक : 22.11.2021

प्रकरण संख्या - राजस्व वाद / 25 / 2016

उनवान प्रकरण शिविरा पि. पन्ना 9 गरवर पि. पन्ना

गोरखन पि. पन्ना जाति बागरी

नि. अपोरेल

- ब 3 शान्तीबाई पि. पन्ना 4 जानीबाई देवा नाराज
5 देवीलाल पि. नाराज 6 बापूलाल पि. नाराज
 ना 7 जीताबाई पि. नाराज 8 मोहनीबाई पि. नाराज
 म 9 राज सरकार जै 10 R रायपुर

दावा धारा 91, 88, 89, 53, 188, 209.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत प्रकरण में गाम अपोरेल की जमाबंदी सं. 2073-7C के खता सं. 43

के ख. सं. 40 रकबा 1.6635 हेक्टर, खता सं. 43 खता 2 रकबा 1.1508 हेक्टर,

खता सं. 44 के ख. सं. 29/413 रकबा 0.5691 हेक्टर, खता सं. 174 के ख. सं. 25

रकबा 1.3911 हेक्टर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के एक हिस्से व किल्ला

अनुपाल बंठवारा पुस्तक तहसील झालावाड राजपुर ले प्राप्त हुआ। संलग्न बंठवारा पुस्तक

व नक्शा अनुपाल पत्रकारान के खते पृथक-पृथक दर्ज करने का आदेश

दिया जाता है। डाक फाइल डिक्री किया जाता है। पत्रकारान का खंड रइव

पथावत दर्ज रहेगा।

निज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.11.21 को जारी की गई।



प्रशासन गांव के संग अभियान 2021

(सन्तोष कुमार मीना)
(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा जिला झालावाड
जिला झालावाड (राज.)
प्रशासन गांव के संग 2021

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक	
मुतफरिक मीजान			मीजान	